FROM No. III

फर्द अहकाम

सहायक कलक्टर (नियम 26) (SDO)

अदालत बायतु मुकाम

देविका बनाम सरपंच ग्राम पं० कुसुमबला आदि

मुकदमा राजस्व अपील 75 RLR नं. 05 सन् 2016

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यावाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30/9/2016	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री कुम्भसिंह चौधरी ने यह प्रार्थना-पत्र/वाद/अपील धारा 75 RLR Act राजस्थान काश्तकारी/ भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जा दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 8/11/16 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
08/11/16	अपीलान्ट के अधिवक्ता उपस्थित। रेस्पोन्डेन्टगणों के नोटिस तामील फिस तामील अप्राप्त। श्रीमान पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इन्तजार होकर आगामी दिनांक 17/01/17 को पेश हो।	
17/01/17	अपीलान्ट स्वयं व अपीलान्ट के अधिवक्ता उपस्थित। रेस्पोन्डेन्टगणों के नोटिस पूर्व में जरिये रजिस्टर्ड एडी भिजवाये गये जिनकी एडी पुन: प्राप्त नहीं हुई है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 व 3 की ओर से वकील श्री खेताराम जाखड़ द्वारा वकालतनामा मय लिखित प्रत्युत्तर पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। शेष रेस्पोन्डेन्टगणों की एडी के इन्तजार में पत्रावली दिनांक 07/02/17 को पेश हो।	देवीका

Scanned by CamScanner

07/02/17 अपीलान्ट व उत्तरदातागण संख्या 2 व 3 के अधिवक्ता उपस्थित। शेष उत्तरदातागणो की एडी पुनः प्राप्त नहीं हुई, जिनको 30 दिन से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है उत्तरदाता संख्या 1 व 4 से 14 स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अंतिम आवाज 5:45 pm पर लगाई गई उत्तरदातागण संख्या 1 व 4 से 14 की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अतः वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 27/06/17 को पेश हो।

27/06/17 पक्षकारान फरीकैन उपस्थित। श्रीमान पीठासीन अधिकारी अवकाश न्याय कायदे द्वार अभियान में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 13/09/17 को पेश हो।

13/09/17 पक्षकारान फरीकैन उपस्थित। श्रीमान पीठासीन अधिकारी बाढ़ डिजास्टर दीगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 13/11/17 को पेश हो।

13/11/17 पत्रावली आज पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त है। मिसल इल्तवा होकर दिनाक 12/12/17 को पेश हों।

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12/12/17	वकुलाय फरीकैन उपस्थित। दोनों पक्षों के अधिवक्ता बहस करना चाहते हैं। पूर्व में पर्याप्त अवसर दिये गये। अन्तिम अवसर दिया जाए पत्रावली दिनांक 24/01/18 को पेश हो। [initials]	
24/01/18	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय नक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधि. कारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनाक 20/03/18 को पेश हों। [initials]	
20/03/18	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय नक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधि. कारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनाक 30/04/18 को पेश हों। [initials]	
30/04/18	वकुलाय फरीकैन उपस्थित। श्रीमान पीठासीन अधिकारी आज दीगर दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 27/06/18 को पेश हो। [initials]	
27/06/18	पत्रावली आज न्याय आपके द्वार अभियान 2018 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत के मुख्यालय में रखी गई। वकुलाय फरीकैन उपस्थित। दोनों पक्षों के अधिवक्ता बहस करना चाहते हैं। पूर्व में अन्तिम अवसर दिया गया था। न्यायहित में एक और अवसर दिया जाए पत्रावली दिनांक 06/08/18 को पेश हो। [initials]	

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
06/08/18	वकुलाय फरीकैन उपस्थित। श्रीमान पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण हो चुका है। अतः पद रिक्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 16/10/18 को पेश हो।	
16/10/18	वकुलाय फरीकैन उपस्थित। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 18/12/18 को पेश हो।	
18/12/18	वकुलाय फरीकैन उपस्थित। श्रीमान पीठासीन अधिकारी चुनाव कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 21/02/19 को पेश हो।	
21/02/19	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनाक 06/05/19 को पेश हों।	
06/05/19	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकैन उपस्थित। पीठासीन अधिकारी चुनाव कार्यो मे व्यस्त है। पत्रावली ईल्तवा होकर। दिनांक 05/08/19 को पेश हो।	
05/08/19	वकुलाय फरीकैन उपस्थित। श्रीमान पीठासीन अधिकारी जयपुर मिटिंग में पधारे हुए है। अतः मिसल इल्तवा होकर वास्ते बहस दिनांक 23/10/19 को पेश हो।	

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23/10/19	अपीलान्ट व उत्तरदाता संख्या- 2 व 3 के अधिवक्ता उपस्थित। उत्तरदाता संख्या- 2 व 3 के अधिवक्ता द्वारा पूर्व में लिखित प्रकथन पेश कर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील के सम्बन्ध में सहमति जाहिर कर अपीलान्ट की अपील को स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या- 116 दिनांक- 20.11.2009 राजस्व ग्राम - जोराबियों की ढाणी को निरस्त कर अपीलान्ट का नाम धमा पुत्र रामा के स्थान पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने का निवेदन किया गया। दोनों पक्षों के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई, उत्तरदाता संख्या- 2 व 3 के अधिवक्ता द्वारा अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील के सम्बन्ध में सहमति जाहिर की गई, तथा अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा अपनी अपील के पक्ष में Ruling - Supreme Court of India सिविल अपील Nos.- 188- 189 of 2018 [@ SLP (C) Nos. 10638- 10639 of 2018] Danamma @ Suman Surpur Anr. बनाम Amar & ors. पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। हमने अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस सुनने, पत्रावली व पत्रावली के संलग्न राजस्व रिकार्ड का एवम उत्तरदाता संख्या- 2 व 3 के प्रकथन का ध्यान पूर्वक अवलोकन करने के बाद अपीलान्ट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है आदेश अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) 23.10.2019	

Scanned by CamScanner

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बायतु

(पीठासीन अधिकारी श्री विवेक व्यास R.A.S.)

अपील सख्या – 05/2016

अपीलांट	बनाम	उतरदाता
1. देविका पुत्री घमाराम उर्फ घमूराम पत्नी रमेश कुमार जाति नाई निवासी कसुम्बला भाटियान, तहसील गिड़ा, जिला बाड़मेर		1. सरपंच ग्राम पंचायत केसुम्बला भाटियान 2. तेजाराम पुत्र चैनाराम 3. भोमाराम पुत्र चैनाराम 4. खेमाराम गोदपुत्र खेताराम 5. धर्माराम पुत्र लालाराम 6. ओमाराम पुत्र उम्मेदाराम 7. जेठाराम पुत्र उम्मेदाराम 8. ताराराम पुत्र उम्मेदाराम 9. सुरताराम पुत्र उम्मेदाराम 10. सुगणी पत्नी उम्मेदाराम 11. जोगाराम पुत्र पदमाराम 12. दुर्गाराम पुत्र पदमाराम 13. घेवरराम पुत्र पदमाराम जातियान् नाई निवासीयान् केसुम्बला भाटियान तहसील गिड़ा 14. प्रबन्धक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैक शाखा सवाउ पदमसिंह तहसील गिड़ा

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

दिनांक :– 23/10/2019

उपस्थित :– 1. श्री कुम्भसिंह चौधरी वकील अपीलांट
2. श्री खेताराम जाखड़ वकील उत्तरदाता संख्या 2 व 3

–: आदेश :–

अपीलांट द्वारा अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत नामान्तरकरण संख्या–116/20.11.2009 के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अपीलांट एवं उत्तरदाता संख्या 2 से 13 की संयुक्त खातेदारी भूमि मौजा जोराणियों की ढाणी पटवार मण्डल कसुम्बला भाटियान तहसील गिड़ा के ख.नं 187, 217 कुल रकबा 221.06 बीघा भूमि आई हुई हैं। अपीलांट के पिता घमाराम उर्फ घमूराम के फौत होने पर भरे गये फोतगी नामान्तरकरण में अपीलांट के स्थान पर अपीलांट के पिता के भाई के लड़कों तेजाराम व भोमाराम के नाम से नामान्तरकरण पारित किया गया है। जबकि अपीलांट ही घमाराम की इकलौती वारिश है। अतः उक्त कार्रवाही से व्यथित होकर अपीलांट ने उक्त अपील प्रस्तुत कर अपीलांट का नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज करने का निवेदन किया है।

अपीलांटगण द्वारा देरी के लिये धारा–5 म्याद भारतीय परिसीमा अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अपीलांट ने देरी के लिये धारा–5 भारतीय परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत सदभावी भूल मानते हुए एवं इस अपील में निहित उक्त देरी के लिए क्षमा मांगते हुए अपील अन्दर म्याद स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु

Scanned by CamScanner

अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, उत्तरदातागण को सम्मन जारी किये गये है। उत्तरदातागण संख्या 1 व 4 से 14 स्वयं या उनकी तरफ से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं होने से दिनांक 07.02.2017 को उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। उत्तरदाता संख्या 2 व 3 की ओर से वकील श्री खेताराम जाखड़ द्वारा वकालातनामा व लिखित प्राक्कथन पेश किया गया। उत्तरदाता संख्या 2 व 3 की ओर से प्राक्कथन पेश कर अपील के सभी तथ्यों को स्वीकार करते हुए विवादित आराजी में अपीलांट का नाम दर्ज किये जाने की लिखित सहमति प्रदान की है। अपीलांट वकील द्वारा न्यायिक दृष्टान्त SUANAMMA @ SUMAN SURPUR &ANR. VERSUS AMAR & ORS. CIVIL APPELLATE पेश किया गया।

नामान्तरकरण संख्या–116/20.11.2009 के अवलोकन से पाया गया कि अपीलांट के पिता के फौत होने पर भरे गये फौतगी नामान्तरकरण में अपीलांट का नाम दर्ज नहीं किया जाकर उसके पिता के भाई के लड़कों का नाम दर्ज कर दिया गया। ग्राम पंचायत केसूम्बला भाटियान द्वारा जारी वारिशान प्रमाण पत्र से भी स्पष्ट है कि घमाराम उर्फ घमुराम पुत्र रामाराम की इकलौती वारिशान अपीलांट देविका ही है। अपीलांट के अलावा अन्य कोई जायंदा वारिशान नहीं है।

हमने अपीलांट वकील की बहस सुनी व पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। चूंकि इस अपील में अपीलांट के नैसर्गिक उत्तराधिकारी के अधिकारों का सारगर्भित तथ्य समाहित है, यदि उक्त अपील को म्याद के बिन्दु पर अस्वीकार कर दिया जाता है तो अपीलांट के नैसर्गिक उत्तराधिकार के सारवान अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अतः उपरोक्त तथ्यों के मध्येनजर रखते हुऐ अपीलांट की अपील अन्दर म्याद आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या–116/20.11.2009 को खारिज किया जाकर, मौजा जोराणियों की ढाणी पटवार मण्डल कसुम्बला भाटियान तहसील गिड़ा के खेत ख.नं 187, 217 कुल रकबा 221.06 बीघा भूमि में अपीलांट का नाम उत्तरदाता संख्या 2 से 13 के साथ सहखातेदार के रूप में दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार गिड़ा उक्त आदेश के अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें।

(विवेक व्यास) 23.10.2019
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

निर्णय आज दिनांक 23.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23.10.2019
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2019.11.11 16:12:54 IST
Reason: SelfAttested
Location: